प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026
थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह हे0का0 अंजनी कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रतापगढ़ के केस न0 582/24 धारा 128 सीआरपीसी से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त मो0 सज्जाद उर्फ सोनू पुत्र रईस खान निवासी ग्राम मझगवां थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 सज्जाद उर्फ सोनू पुत्र रईस खान निवासी ग्राम मझगवां थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह हे0का0 अंजनी कुमार थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026
थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 दूधनाथ पाल मय हमराह का0 अभिनव द्विवेदी द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0न0 217/22 व मु0अ0सं0 33/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त प्रदीप गुप्ता पुत्र जियालाल गुप्ता निवासी संग्रामगढ़ खास थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. प्रदीप गुप्ता पुत्र जियालाल गुप्ता निवासी संग्रामगढ़ खास थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दूधनाथ पाल मय हमराह का0 अभिनव द्विवेदी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026
थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय उर्फ अखिलेश पाण्डेय को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत बाबा गणेश दास मंदिर गारापुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, डकैती, जबरन बसूली, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आइटी एक्ट, गुण्डा एक्ट, एससी/एसटी एक्ट जैसे गंभीर लगभग 29 अभियोग पंजीकृत है-

प्रतापगढ़।
वादिनी निवासी ग्राम अमरई, ब्लॉक गौरा, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 28.06.2026 को उनके पुत्र के मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। वादिनी के अनुसार, पूर्व में सोलर पैनल तोड़े जाने के संबंध में उनके द्वारा थाना फतनपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर पड़ोसी अखिलेश पाण्डेय पुत्र जैनेन्द्रमणि अपने साथी शैलेश पाण्डेय पुत्र शशिकान्तमणि पाण्डेय के साथ उनके घर आया तथा स्वयं को थाना फतनपुर का टॉप बदमाश बताते हुए रंगदारी की मांग की। वादिनी का आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए रंगदारी न देने पर उन्हें, उनकी पुत्री एवं पुत्र को जान से मारने की धमकी दी तथा तत्पश्चात वहां से चले गए। इस संबंध में मु0अ0सं0 166/2026 धारा 308(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह म0हे0का0 विमला देवी, का0 आशुतोष तिवारी व का0 देवेन्द्र कुमार व हस्बुल तलब हमराह रि0का0 सचिन पाण्डेय, रि0का0 अर्पित गुप्ता व रि0का0 अजय द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 166/2026 धारा 308(2)/352/351(3) B.N.S थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र स्व जैनेन्द्रमणि पाण्डेय निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत बाबा गणेश दास मंदिर गारापुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मुझको पैसे की आवश्यकता थी तो मै प्लान बनाकर दिनांक 28.06.2026 की रात्रि अपने विरोधी निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के घर गया और उससे अपनी जरुरत पूरा करने के लिए दस हजार रुपये रंगदारी मांगा, तो वह विवाद करने लगी तो मै उससे कहा कि पैसा दे रही हो कि मै तुम्हारी हत्या कर दूं। इतने मे ही वह डरकर अपनी पर्स मुझको दे दी, तो मै उसको लेकर यह कहते हुए चला आया था कि अगर कही पुलिस के पास शिकायत करने गयी तो तुमको जान से मार दूंगा। बाहर आकर पर्स चेक किया गया तो उसमे कुल 1900 रुपये व आधार कार्ड था। पैसा निकाल कर ले लिया और पर्स को चांदपुर नहर पुलिया के पास झाडी मे फेंक दिया था। जो पैसा आप लोगो को मेरी जेब से मिला है वह वही पैसा है कुछ पैसा मै खाने पीने मे खर्च कर दिया था। जो बचा हुआ था वह आप लोगो ने ले लिया। मुझे जानकारी हुई कि मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दी है तो मै घर से हटकर मंदिर पर सो रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अखिलेश पाण्डेय उर्फ मनोज पाण्डेय पुत्र स्व जैनेन्द्रमणि पाण्डेय निवासी ग्राम अमरई थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय उर्फ अखिलेश पाण्डेय पुत्र जैनेन्द्र पाण्डेय नि0 ग्राम अमरई थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0- 91/1999, धारा- 147/148/323/504/506 भादवि व 3(1)(X) एससी/एसटी एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0- 59/2008, धारा- 323/504/506/307/427/452 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0- 88/2008, धारा- 395/286/323/506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0- 144/2008, धारा- 110G, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0- 174/2008, धारा- 147/148/323/504/506 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

6. मु0अ0सं0- 15/2009, धारा- 147/148/323/504/506/308/324/452 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

7. मु0अ0सं0- 17/2009, धारा- 25 आर्म्स एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

8. मु0अ0सं0- 146/2009, धारा- 110G, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

9. मु0अ0सं0- 10/2010, धारा- 147/148/323/504/506 भादवि व 3(1)(X) एससी/एसटी एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

10. मु0अ0सं0- 148/2010, धारा- 147/148/149/323/504/506/427/406 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

11. मु0अ0सं0- 280/2010, धारा- 147/148/149/323/504/506/307/325/356 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

12. मु0अ0सं0- 70/2012, धारा- 147/148/323/504/506/427 भादवि व 3(1)(X) एससी/एसटी एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

13. मु0अ0सं0- 127/2012, धारा- 295/397 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

14. मु0अ0सं0- 203/2013, धारा- 147/148/323/504/506/307/324/427 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

15. मु0अ0सं0- 249/2013, धारा- 147/452/307/436/325/504/506/427 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

16. मु0अ0सं0- 63/2014, धारा- 3(1) गुण्डा अधिनियम, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

17. मु0अ0सं0- 141/2014, धारा- 147/148/149/323/504/506/452/427 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

18. मु0अ0सं0- 218/2014, धारा- 323/504/506/325 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

19. मु0अ0सं0- 96/2015, धारा- 147/148/323/504/506/149/427 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

20. मु0अ0सं0- 176/2017, धारा- 147/148/323/504/506/452/427 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

21. मु0अ0सं0- 265/2017, धारा- 147/148/149/307/323/325/427/504/506/379 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

22. मु0अ0सं0- 93/2020, धारा- 147/148/149/323/504/506/427/307 भादवि व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(1)(ज), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

23. मु0अ0सं0- 73/2020, धारा- 500/501/504 भादवि व 67 आईटी एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

24. मु0अ0सं0- 223/2020, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

25. मु0अ0सं0- 100/2024, धारा- 307 भादवि, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

26. मु0अ0सं0- 129/2025, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

27. मु0अ0सं0- 156/2026, धारा- 115(2)/191(2)/309(4)/324(5)/333/352 बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

28. मु0अ0सं0- 159/2026, धारा- 191(2)/115(2)/352/351(3)/333/324(4) बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

29. मु0अ0सं0- 166/2026, धारा- 308(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना- फतनपुर, जनपद- प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 एक अदद लेडिज बैंग, वादिनी आधार कार्ड, 1260 रुपया नगद बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह म0हे0का0 विमला देवी, का0 आशुतोष तिवारी व का0 देवेन्द्र कुमार व हस्बुल तलब हमराह रि0का0 सचिन पाण्डेय, रि0का0 अर्पित गुप्ता व रि0का0 अजय थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026
थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: गोवध निवारण अधिनियम के वांछित 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में, जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के अंतर्गत थाना आसपुर देवसरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने वर्ष 2021 से गोवध जैसे गंभीर अपराधों में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तों, मुख्तार, कल्लू उर्फ फैय्याज को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है।

प्रतापगढ़।
दिनांक 04.09.2021 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोपा के समीप सड़क किनारे लगभग 15 बोरों में गोवंशीय मांस बरामद होने के संबंध में मु0अ0सं0 217/2021, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 429 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि अज्ञात अभियुक्तगण गोवंशीय पशुओं का अवैध वध कर मांस को अन्य स्थानों/गैर-प्रांतों में बिक्री हेतु परिवहन करते थे।

दिनांक 29.09.2021 को थाना आसपुर देवसरा एवं थाना पट्टी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर गोवंशीय पशुओं की तस्करी कर रहे एक संगठित गिरोह की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग एवं वाहनों से कुचलने का प्रयास किए जाने के बावजूद पुलिस ने साहस एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए 20 गोवंशीय पशुओं सहित 03 पिकअप, 01 मैजिक एवं 01 मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस एवं गोवध में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए। इस सं◌ंबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 227/2026 धारा 147, 148, 149, 307, 120-B बीएनएस धारा 3, 5, 8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 अवधराज यादव, उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह हे0का0 हरेन्द्र कुमार, का0 प्रतीक यादव, का0 कैलाश यादव, का0 रामप्रकाश यादव, का0 परमहंस चौहान, रि0 आ0 धीरज धुसिया, रि0आ0 रोशन पटेल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 217/2021, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. मुख्तार पुत्र दीनू नि0ग्रा0 मल्लूपुर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 65 वर्ष, 02. कल्लू उर्फ फैय्याज पुत्र स्व0 हदीस उर्फ गुज्जुर नि०ग्रा0 मल्लूपुर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत गांव मल्लूपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मुख्तार पुत्र दीनू नि0ग्रा0 मल्लूपुर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 65 वर्ष।
2. कल्लू उर्फ फैय्याज पुत्र स्व0 हदीस उर्फ गुज्जुर नि०ग्रा0 मल्लूपुर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अवधराज यादव, उ0नि0 योगेन्द्र सिंह, उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह हे0का0 हरेन्द्र कुमार, का0 प्रतीक यादव, का0 कैलाश यादव, का0 रामप्रकाश यादव, का0 परमहंस चौहान, रि0 आ0 धीरज धुसिया, रि0आ0 रोशन पटेल थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक – 01.07.2026
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा "बलवा, मारपीट, हत्या का प्रयास" के अभियोग से संबंधित ₹25,000/- का इनामियां 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

रानीगंज पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बलवा, मारपीट व हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित ₹25,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

₹25,000/- का इनामियां अभियुक्त मो0 गुफरान को थाना रानीगंज पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 31.05.2026 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज में विपक्षीगणों द्वारा वादिनी के मकान को गिराने तथा विरोध करने पर परिजनों को लाठी-डंडा से मारपीट के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 101/2026 धारा 191 (2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352/351(3) /324(4)/333 भा0न्या०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश कुमार, का0 नारायण जी, कां० पंकज यादव व रि०कां० मु० नासिर चालक हे0का0 मनोज कुमार भटनागर एवं एसओजी टीम प्रतापगढ़ के उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 मोहित, हे0का0 महेन्द्र, कां० जागीर, कां० अरविन्द दूबे, कां० आशुतोष, कां० सचिन व हे0का0 चालक राजेन्द्र प्रसाद* द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, विवेचनात्मक कार्यवाही व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 101/2026 धारा 191 (2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/352/351(3) /324(4)/333 भा0न्या०सं० थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ₹25,000/- का इनामियां अभियुक्त मो0 गुफरान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र अब्दुल रकीब

निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मो0 गुफरान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र अब्दुल रकीब निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

अपराधिक इतिहास
गुफरान पुत्र अब्दुल रकीब उर्फ वकील निवासी कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
01.मु0अ0सं0 262/2018 धारा 286, 341, 395, 506, 511 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
02.मु0अ0सं0 237/2019 धारा 395, 412 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
03.मु0अ0सं0 349/2019 धारा 34, 392, 411 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
04.मु0अ0सं0 361/2019 धारा 34, 392, 411 , 504, 506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
05.मु0अ0सं0 362/2019 धारा 399, 402, 413, 419, 420 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
06.मु0अ0सं0 366/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
07.मु0अ0सं0 38/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
08.मु0अ0सं0 101/2026 धारा 109(1), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 324(4), 333, 351(3), 352 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
09.मु0अ0सं0 65/2026 धारा 110, 115(2), 118(1), 351(3), 352, 85 बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़
10.मु0अ0सं0 403/2019 धारा 395, 412 भादवि थाना थरवई जनपद प्रयागराज

गिरफ्तार करने वाली टीम :
प्रभारी निरीक्षक विजयकान्त सत्यार्थी मय हमराह उ0नि0 दुर्गेश कुमार, का0 नारायण जी, कां० पंकज यादव व रि०कां० मु० नासिर चालक हे0का0 मनोज कुमार भटनागर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

एसओजी टीम प्रतापगढ़ के उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 मोहित, हे0का0 महेन्द्र, कां० जागीर, कां० अरविन्द दूबे, कां० आशुतोष, कां० सचिन व हे0का0 चालक राजेन्द्र प्रसाद

प्रेस नोट दिनांक 01.07.2026
जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त विशोक सरोज पुत्र जीत लाल सरोज निवासी चाहिन लाखापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट में 07 वर्ष का कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दोषसिद्ध को दण्डित किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है प्रतापगढ़ पुलिस।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" तहत डीपी एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में मा0न्यायालय एडीजे लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ थाना उदयपुर के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-
दिनांक 25.07.2024 को अभियुक्त 1. विशोक सरोज पुत्र जीत लाल सरोज निवासी चाहिन लाखापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध अपराध संख्या–131/2024 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना उदयपुर का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 04.09.2024 को आरोप पत्र माननीय न्या0प्रेषित किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज व श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग मे एडीजीसी श्री अरुण कुमार सिंह , विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री रामसूरत सोनकर व थाना उदयपुर के पैरोकार का0 कृष्णा कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 01.07.2026 को मा0न्यायालय एडीजे लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दोषी अभियुक्त विशोक सरोज पुत्र जीत लाल सरोज निवासी चाहिन लाखापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को

1. धारा 80(2) बीएनएस के आरोप में 07 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
2. धारा 85 बीएनएस के आरोप में 03 वर्ष का कारावास तथा 10000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
3. धारा ¾ डीपी एक्ट के आरोप में 02 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10000/- रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

साइबर सेल प्रतापगढ़-प्रेस नोट
दिनांक 01.07.2026

कुल 19 शिकायतों में ₹ 3,85,300.70/- की धनराशि जनपदीय साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना प्रतापगढ़ द्वारा पीड़ितों को वापस कराई गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, सहायक नोडल अधिकारी साइबर क्षेत्राधिकारी नगर प्रतापगढ़ के निकट पर्यवेक्षण में साइबर

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एनसीआरपी पोर्टल एवं पीड़ितों द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच के अनुक्रम में जनपदीय साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये शिकायतकर्ताओं की धोखाधड़ी से आहरित धनराशि उनके खातों में पुनः वापस कराई गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों, जनपदीय साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीड़ितों के खाते में वापस कराये गये धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-
कुल शिकायतें: 19
कुल वापस कराई गई राशि: ₹ 3,85,300.70/-
ठगी के तरीके: यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग,
क्रेडिट कार्ड फ्रॉड व अन्य तरीकों से ठगी।

जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील:

1. फर्जी कस्टमर केयर नंबर गूगल सर्च से न लें, बैंक/कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही हेल्पलाइन नंबर प्राप्त करें।
2. किसी भी एप्लिकेशन को इंस्टॉल करते समय उसे दी जाने वाली अनावश्यक Permissions (Camera, Contacts, SMS आदि) की जांच अवश्य करें।
3. AnyDesk, TeamViewer, QuickSupport जैसे रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कभी इंस्टॉल न करें।
4. सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी (जन्मतिथि, पता, फोन नंबर) सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचें।
5. परिचितों के नाम से आए फर्जी फ्रेंड रिक्वेस्ट या पैसे मांगने वाले संदेशों की सत्यता फोन कॉल से जरूर सुनिश्चित करें।
6. मैट्रिमोनियल/डेटिंग साइट्स पर बनी पहचान के आधार पर किसी को भी पैसे या उपहार न भेजें, यह साइबर ठगी का सामान्य तरीका है।
7. शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी या असाधारण मुनाफे का लालच देने वाले व्हाट्सएप/टेलीग्राम ग्रुप्स से सतर्क रहें।
8. एटीएम अथवा पीओएस मशीन का प्रयोग करते समय पिन डालते वक्त हाथ से ढककर रखें एवं मशीन में किसी अतिरिक्त उपकरण की जांच करें।
9. बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध के तरीकों के बारे में जागरूक करें, वे अक्सर आसान लक्ष्य बनते हैं।
10. साइबर अपराध से संबंधित शिकायत हेतु राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

"एक क्लिक से पहले सोचें, ठगी से खुद को बचाएं।"

> जनपदीय साइबर सेल टीम, प्रतापगढ़